भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं.1461**
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

**विषय: संधारणीय फसल योजना**

1461. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भूजल की कमी का सामना कर रहे राज्यों में धान और गन्ने जैसी अधिक पानी लेने वाली फसलों की संरचनात्मक अतिनिर्भरता का आकलन किया है;
(ख) क्या फसलों के चयन को कृषि जलवायु संधारणीयता और बाजार की मांग के अनुरूप बनाने के लिए जिलावार पारिस्थितिकीय क्षेत्र के हिसाब से उनके चयन पर विचार किया गया है; और
(ग) क्या सरकार संधारणीय फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए एमएसपी प्रोत्साहन, खरीद प्राथमिकताओं और आदान राजसहायता को एकीकृत करने की योजना बना रही है?

**उत्तर**

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): वर्ष 2022 से जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों सहित देश के गतिशील भूजल संसाधनों का मूल्यांकन केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने भूजल की कमी से जूझ रहे राज्यों में धान और गन्ने जैसी जल-गहन फसलों पर संरचनात्मक अतिनिर्भरता के संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं किया है।

(ख): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-आईआईएफएसआर), मोदीपुरम और आईसीएआर-राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर ने संयुक्त रूप से सापेक्ष प्रसार सूचकांक (आरएसआई), सापेक्ष उपज सूचकांक (आरवाईआई), सतत उपज सूचकांक (एसवाईआई) और मिट्टी-जलवायु उपयुक्तता सूचकांक (एससीएसआई) को मिलाकर 14 प्रमुख फसलों अर्थात् चावल, गेहूं, मक्का, पर्ल मिलेट, ज्वार, अरहर, चना, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, कपास, गन्ना, आलू और प्याज के लिए कृषि-पारिस्थितिक और जिला फसल योजना तैयार की है।

(ग): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) मूल हरित क्रांति वाले राज्यों अर्थात हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश (यूपी) में प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि अधिक जल की आवश्यकता वाले धान की फसल के क्षेत्र को दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर डायवर्ट किया जा सके। सीडीपी के अंतर्गत वैकल्पिक फसल प्रदर्शन, कृषि मशीनीकरण और मूल्य संवर्धन, स्थल-विशिष्ट गतिविधियों और जागरूकता, प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज (श्री अन्न) और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन के अंतर्गत तिलहन को बढ़ावा दे रही है।

सरकार राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के मतों पर विचार करने के पश्चात, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर मोटे अनाज, दलहन, तिलहन आदि सहित 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है।

मोटे अनाजों की खरीद, आवंटन, वितरण और निपटान पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय पूल के अंतर्गत किसानों से ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, रागी और छह माइनर मिलेट न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की अनुमति है, बशर्ते कि वे भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के परामर्श से भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करें। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की प्रधानमंत्री - अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना के अंतर्गत दलहन और तिलहन की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। अधिसूचित दालों की खरीद, कटाई के मौसम के दौरान राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत की जाती है।

*****